



परिपत्र समस्त शाखाओं/कार्यालयों हेतु
पेंशन प्रकोष्ठ, मानव संसाधन प्रबंध विभाग द्वारा निर्गत

प्रिय महोदय,

विषय: ग्यारहवां द्विपक्षीय समझौता/ज्वाइण्ट नोट दिनांक 11.11.2020 – कुटुंब पेंशन की एक समान दर 30 प्रतिशत का लागू किया जाना

विषयांतर्गत अवगत कराना है कि ग्यारहवें द्विपक्षीय समझौते/ज्वाइण्ट नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुसार दिवंगत कर्मचारियों के कुटुंब को 30 प्रतिशत की एक समान दर से कुटुंब पेंशन के भुगतान की सहमति भारत सरकार के अनुमोदन के अद्वयधीन थी।

हमें यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि नाबार्ड ने अपने पत्रांक: NB.HO.IDD.RRB/1045/316(Pay & Allowances)/2022-23, दिनांक 30.12.2022 द्वारा सूचित किया है कि वित्तीय सेवाएं अनुभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रांक: F.No.8/1/2022-RRB दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से ग्रामीण बैंकों के दिवंगत कर्मचारियों के कुटुंब को दिनांक: 01.04.2021 से 30 प्रतिशत की एक समान दर से कुटुंब पेंशन के भुगतान का अनुमोदन कर दिया है।

हमारे बैंक के माननीय निदेशक मण्डल ने बैंक के दिवंगत कर्मचारियों के कुटुंब को दिनांक: 01.04.2021 से 30 प्रतिशत की एक समान दर से कुटुंब पेंशन के भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी है। बैंक द्वारा तदनुसार माह जनवरी, 2023 की पेंशन का भुगतान (अंतिम गणना व जांच में संज्ञान में आने संशोधनों एवं तदनुसार वसूली अथवा भुगतान यदि कोई हों, के अद्वयधीन) प्रारंभ कर दिया है। गणना की जांच के उपरांत पेंशन के एरियर का भुगतान निर्गत किया जायेगा।

कृपया इस परिपत्र की विषयवस्तु को सभी स्टाफ सदस्यों, पेंशनरों, एवं कुटुंब पेंशनरों के संज्ञान में लायें और पेंशनरों एवं कुटुंब पेंशनरों के सहज संज्ञान हेतु इसकी एक प्रति शाखा/कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर प्रदर्शित करें।

भवदीय

(कृष्ण कुमार कश्यप)
महाप्रबंधक